झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

1930/वि०
07/08/2025

संकल्प

विषय : 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु Notional (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मान्य करने के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 को निरस्त करते हुए भारत सरकार के Office Memorandum दिनांक 20.05.2025 के आलोक में काल्पनिक वेतनवृद्धि मान्य करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 द्वारा दिनांक 11.04.2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वेतनवृद्धि हेतु एक साल की अर्हक सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले झारखण्ड राज्य के कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु एक Notional (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मान्य किया गया है ।

2. वित्त विभाग के पत्रांक 2224/वि० दिनांक 26.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 से आच्छादित कर्मियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों यथा उपदान, अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि तथा स्थनान्तरण अनुदान की गणना में एक काल्पनिक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए भुगतान की कार्रवाई की जानी है ।

3. कालान्तर में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2024 के मद संख्या 32 द्वारा संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 की कण्डिका 6 में एक परन्तुक निम्नरूप से जोड़े जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई थी :-

''परन्तु, वैसे कर्मी जिनकी वार्धक्य सेवानिवृति की तिथि 30 जून/31 दिसम्बर है एवं उन्हें सेवानिवृति के अंतिम वर्ष के बीच की अवधि में प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन प्राप्त होता है तथा सेवानिवृति एवं प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन की तिथियों के बीच की अवधि 6(छः) माह से अधिक की है, उन्हें संकल्प संख्या 217 दिनांक 18.01.2017 की कंडिका 18 के आलोक में सेवानिवृति की तिथि को काल्पनिक रूप से 01 वेतनवृद्धि पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभों के लिए देय होगा ।''

Scanned with OKEN Scanner

4. W.P. (S) No. 3755/2024 देवेन्द्र कुमार सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 06.08.2024 को पारित न्यायादेश के द्वारा संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 को Quashed and Set Aside किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2024 के मद संख्या 32 में स्वीकृत उक्त प्रस्ताव के आलोक में संकल्प संसूचित नही किया है ।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 2471/2023 के मामले में दिनांक 11.04.2023 एवं 18.12.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में भारत सरकार के Office Memoramdum No 19/116/2024-Pers.Pol(Pay)(Pt) दिनांक 20.05.2025 द्वारा कतिपय मामलों के आधार पर वेतनवृद्धि अनुमान्यता के एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को काल्पनिक वेतनवृद्धि अनुमान्य किया गया है ।

6. अतः भारत सरकार के Office Memoramdum No 19/116/2024-Pers.Pol(Pay)(Pt) दिनांक 20.05.2025 के आलोक में वैसे सरकारी सेवक जो वेतनवृद्धि अनुमान्यता के एक दिन पूर्व (30 जून/31 दिसम्बर) सेवानिवृत्त हो रहे हो, को 1 जुलाई/1 जनवरी को निम्नलिखित मामलों में काल्पनिक वेतनवृद्धि मात्र पेंशन लाभ हेतु अनुमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 2471/2023 में दिनांक 11.04.2023 को पारित न्यायादेश की तिथि को आधार मानते हुए एक काल्पनिक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पुनरीक्षित पेंशन का लाभ दिनांक 01.05.2023 से दिया जायगा । दिनांक 30.04.2023 के पूर्व का काल्पनिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान नहीं किया जायगा ।

(ii) वैसे कर्मी, जिनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया हो और न्यायादेश पारित हो, तो पारित न्यायादेश के अनुरूप काल्पनिक वेतनवृद्धि अनुमान्य किया जायेगा (यदि पारित न्यायादेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया हो, तो उसे छोड़कर) ।

(iii) सेवानिवृत्त कर्मी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के मामले में याचिका दायर करने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व से एक काल्पनिक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किया जाएगा । यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा जिसमें याचिका दिनांक 11.04.2023 या उसके बाद दायर की गई हो ।

Scanned with OKEN Scanner

7. मात्र पेंशन की गणना हेतु एक काल्पनिक वेतनवृद्धि अनुमान्य किया जायगा । अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना वास्तविक अंतिम मूल वेतन के आधार पर ही किया जायगा ।

8. संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 सहपठित पत्रांक 2224/वि० दिनांक 26.09.2024 के आलोक में यदि किसी कर्मी को उपर्युक्त प्रावधानों से अधिक राशि का भुगतान किया गया हो, तो भुगतान की गई राशि की वसूली नही की जायगी ।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 एवं पत्रांक 2224/वि० दिनांक 26.09.2024 को उनके निर्गत तिथियों के प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

10. W.P. (C) No. 643/2015 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19.05.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में उपर्युक्त प्रावधान राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों हेतु भी मान्य किया जाता है ।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 24.07.2025 की बैठक में मद संख्या 03 में इसकी स्वीकृति दी गयी है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

01/08/25

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांकः-34/विविध/काल्पनिक वेतनवृद्धि/01/24/वित्त 1930/राँची, दिनांक 07/08/2025

प्रतिलिपिः- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/ पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने के निमित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/08/25

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांकः-34/विविध/काल्पनिक वेतनवृद्धि/01/24/वित्त/230/राँची, दिनांक 07/08/2025

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

07/08/25

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांकः-34/विविध/काल्पनिक वेतनवृद्धि/01/24/वित्त/230/राँची, दिनांक 07/08/2025

प्रतिलिपिः- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

07/08/25

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner